न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण

अपील संख्याः— 152/2022

1. रामलाल बुदेला पुत्र मूलचंद, उम्र 70 साल,
2. रंजना देवी पत्नी रामलाल बुंदेला, उम्र 67 साल,
   जाति खटीक, निवासीगण 2/8 हाउसिग बोर्ड, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं, हा
   4, मोहल्ला खटीकान, बगड़, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अ

बनाम

1. भरत बुदेला पुत्र रामलाल बुंदेला, उम्र 40 साल
2. सुनिता बुदेला पत्नी भरत बुंदेला, उम्र 38 साल,
   जाति खटीक निवासीगण 2/8 हाउसिग बोर्ड झुंझुनूं।
3. अम्बेडकर बुंदेला पुत्र रामलाल बुंदेला, उम्र 36 साल,
4. संतोष बुंदेला पत्नी अम्बेडकर बुंदेला, उम्र 32 साल, जाति खटीक, निवासीगण 2/8 हा
   झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— रे

———

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 14.09.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी पीठासीन भरण—पोषण झुंझुनूं उनवानी मु. रामलाल वगै0 बनाम भरत बुदेला वगै0 मु0न0 6/22 आवेदन पत्र बाबत धार अभिभावकों और व0 नाग0 का भरण पोषण

———

उपस्थितः—

1. श्री मुकर्रम अंसारी, एडवोकेट— अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

———

आदेश

दिनांक

उक्त विषयक अपील विद्वान [illegible] आदेश दिनांक 14.09.2022 प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न [illegible] पेश है कि अदालत मातहत विरूद्ध कानून, पत्रावली, व न्याय है। [illegible] नही किया है कि वरिष्ठ नागरिक है तथा रेस्पोडेन्टगण के माता पिता व [illegible] है जिसकी देखभाल तरीके से उनका भरण—पोषण करने का दायित्व [illegible] पर था और अपीलान्ट नौकरी के दौराने रेस्पोडेन्ट्स की हर इच्छा व आवश्यकताओं की पूर्ति की है। इसके बावजूद अपी साथ मारपीट करना, गाली गलोच करना व घर से बेदखल करना तथा हैरान व परेशान किया ही गलत है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया है कि रेस्पोडेन्टस नं0 1 व 2 मकान अपीलान्टगण का स्वअर्जित आय से प्लाट लेकर निर्माण करवाया गया था। जिससे बेदखल कोई कानूनी अधिकार रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 को नही है। जिसका कब्जा दिलाया जाना तथा उस नही रोकने बाबत रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित था। अपील सेवानिवृत व्यक्ति है जिसने अपनी पेंशन से ऋण उठा कर रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 को विदेश ईटल

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.15 16:56:17 IST
Reason: SelfAttested

लिए ऋण राशि दे दी जिसकी अदायगी रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 व 2 के द्वारा नही किए जाने की स्थि
अपीलान्ट्स की पेंशन राशि से उक्त ऋण राशि की कटौती हो जाने के कारण अपने जीवन यापन क
रेस्पोडेन्ट्सगण पर आश्रित होना पड रहा है और रेस्पोडेन्ट्स द्वारा भरण–पोषण नही किए जाने से
आर्थिक समस्या का सामाना करना पड रहा है। ऐसी स्थिती में अपीलान्ट्स को रेस्पोडेन्ट्सगण से प्रति
बतौर भरण–पोषण 50,000/– रूपये दिलाया जाना उचित व न्यायोचित था। अदालत मातहत ने
निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलान्ट्स सं0 1 से स्वअर्जित सम्पति पर लोन उठवा कर लो
राशि हडपने संबंधी अनुतोष तथा अप्रार्थी नं0 1 व 2 को प्लाट नं. 2/8 हाउसिग बोर्ड झुंझुनूं से बे
करने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नही है। परन्तु भरण पोषण दिलाये जाने का अधिकार और
का कब्जा दिलाया जाना था ऐसा नही किया गया है। धारा 23 कतिपय परिस्थितियों के अन्तरण क
होना जहां कोई वरिष्ठ नागरिक जिसने इस अधिनियम का प्रारम्भ व पश्चात् अपनी सम्पति का दान
में या अन्यथा अन्तरण इस शर्त के अधीन रहते हुए किया है कि अतिरिक्त अतरक को बुनियादी
सुविधाऐं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं प्रदान करेगा और ऐसा अतिरिक्त ऐसी सुख सुविधाओं
भौतिक आवश्यकता प्रदान करने से इन्कार करेगा या असफल रहेगा तो सम्पति का उक्त अन्तरण क
प्रपीडन या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जावेगा और अन्तरण के विकल्प पर अध
द्वारा शून्य घोषित किया जायेगा। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट
किया जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 14.09.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलान्टको
भरण–पोषण रेस्पोडेन्ट्स से पचास हजार रूपये प्रति माह व रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 द्वारा जबरन किय
कब्जा मकाने से हटाकर अपीलान्ट को दिलाया जावे।

बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क
किया कि अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया है कि अपीलान्ट वरिष्ठ नागरिक है
रेस्पोडेन्टगण के माता पिता व सास ससुर है जिसकी देखभाल करना व उचित तरीके से
भरण–पोषण करने का दायित्व रेस्पोडेन्टगण पर था और अपीलान्ट नं0 1 द्वारा अपनी नौकरी के
रेस्पोडेन्ट्स की हर इच्छा व आवश्यकताओ की पूर्ति की है। इसके बावजूद अपीलान्ट्स के साथ म
करना, गाली गलोच करना व घर से बेदखल करना तथा हैरान व परेशान किया जाना बहुत ही गल
अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया है कि रेस्पोडेन्टस नं0 1 व 2 मे निर्मित
अपीलान्टगण का स्वअर्जित आय से प्लाट लेकर निर्माण करवाया गया था। जिससे बेदखल करने क
कानूनी अधिकार रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 को नही है। जिसका कब्जा दिलाया जाना तथा उसमें रहने
रोकने बाबत रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित था। अपीलान्ट नं0 1 सेव
व्यक्ति है जिसने अपनी पेंशन से ऋण उठा कर रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 को विदेश ईटली जाने के लिए
राशि दे दी जिसकी अदायगी रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 व 2 के द्वारा नही किए जाने की स्थिति में अपीलान्ट्
पेंशन राशि से उक्त ऋण राशि की कटौती हो जाने के कारण अपने जीवन यापन के लिए रेस्पोडेन्ट
पर आश्रित होना पड रहा है और रेस्पोडेन्ट्स द्वारा भरण–पोषण नही किए जाने से भारी आर्थिक
का सामाना करना पड रहा है। ऐसी स्थिती में अपीलान्ट्स को रेस्पोडेन्ट्सगण से प्रति माह
भरण–पोषण 50,000/– रूपये दिलाया जाना उचित व न्यायोचित था। अदालत मातहत ने अपने नि
यह अंकित किया है कि अपीलान्ट्स सं0 1 से स्वअर्जित सम्पति पर लोन उठवा कर लोन की राशि
संबंधी अनुतोष तथा अप्रार्थी नं0 1 व 2 को प्लाट नं. 2/8 हाउसिग बोर्ड झुंझुनूं से बेदखल करने क
न्यायालय को क्षेत्राधिकार नही है। परन्तु भरण पोषण दिलाये जाने का अधिकार और सम्पति का
दिलाया जाना था ऐसा नही किया गया है। धारा 23 कतिपय परिस्थितियों के अन्तरण का शून्य होन
कोई वरिष्ठ नागरिक जिसने इस अधिनियम का प्रारम्भ व पश्चात् अपनी सम्पति का दान के रूप
अन्यथा अन्तरण इस शर्त के अधीन रहते हुए किया है कि अतिरिक्त अतरक को बुनियादी सुख सु
और बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं प्रदान करेगा और ऐसा अतिरिक्त ऐसी सुख सुविधाओं तथा भ
आवश्यकता प्रदान करने से इन्कार करेगा या असफल रहेगा तो सम्पति का उक्त अन्तरण कपट या प्र
या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जावेगा और अन्तरण के विकल्प पर अधीकरण द्वार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.15 16:56:17 IST
Reason: SelfAttested

घोषित किया जायेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अदालत मातहत का आदेश दिन
09.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलान्टको बतौर भरण–पोषण रेस्पोडेन्ट्स से पचास हजार रूप
माह व रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 द्वारा जबरन किया गया कब्जा मकाने से हटाकर अपीलान्ट को दिलाया

रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगाय
विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पक्षकारान पर बगौर मनन किया अदालत
द्वारा पूर्ण सुनवाई कर परिस्थितियों को मध्यनजर रख कर आदेश दिनांक 14.09.2022 पारित कि
अपीलान्ट रामलाल बुन्देला बैंक मैनेजर के पद से सेविानिवृत्त हुआ है। अपीलान्ट अपने स्वयं क
पोषण के लिए स्वयं सक्षम है। हम अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय को उचित मानते है।
मातहत के निर्णय मे कोई त्रुटि नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः
अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 14.0
यथावत रखा जाता है। रिकार्ड मातहत अदालत को आदेश की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली
से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.15 16:56:17 IST
Reason: SelfAttested